न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिमी,
लखनऊ।

कि0 केस नं0– 3055/19

दिनांक–14.8.19

वाद पुकारा गया। अभियुक्त अबोध अग्रवाल के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बी–7 इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज सूची में अंकित कुछ दस्तावेजों को अभियुक्त को प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः विचारण के अगले स्तर पर जाने से पहले अभियोजन द्वारा धारा 207 द0प्र0सं0 का अनुपालन कर दिया जाय।

अभियोजन द्वारा मौखिक आपत्ति इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई कि आरोपपत्र के साथ दस्तावेज सूची संलग्न की गई है जिसमें से लगभग सभी प्रपत्र अभियुक्त को प्राप्त करा दिया गया है। क्रम संख्या–29 पर अंकित धारा 164 द0प्र0सं0 अब्दुल लतीफ के बयान की प्रति भी उपलब्ध करा दिया गया है तथा क्र0सं0 30 पर अंकित सी0एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की प्रति भी प्राप्त करा दिया गया है केवल आवाज परीक्षण रिपोर्ट शेष बची है और इस सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त के नमूना आवाज के साथ रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। चूंकि प्रयोगशाला में इस तरह के काफी आवेदन रिपोर्ट हेतु आते है जिससे इनकी जांच में काफी विलम्ब हो जाता है। सी.डी. का ट्रांस्क्रिप्शन अभियुक्त को पहले ही प्राप्त कराया जा चुका है। अतः सभी दस्तावेज जो प्राप्त कराये गये है, उन्हीं के आधार पर ही अभियुक्त के विरूद्व आरोप निर्मित किये जाने हेतु पर्याप्त समाग्री उपलब्ध है और जैसे ही रिपोर्ट सी0बी0आई0 को प्राप्त हो जायेगी, उसकी प्रति पत्रावली पर एवं अभियुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी। अतः अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त कर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाय।

अभियुक्त की ओर से कि0 रिवीजन नं0 3221/2010 प्रमोद कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य अन्तर्गत धारा 324/34, 504, 506 भा0द0सं0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत किया गया है जिसमें आरोप को क्वैश कर दिया गया है।

अभियुक्त एवं लोक अभियोजन को सुनने के उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अबोध अग्रवाल को रू0 40,000/– रिश्वत की धनराशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों स्वतंत्र गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया है। जबकि अभियुक्त लोक सेवक के पद पर कार्यरत था। जो उद्वरण अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि पत्रावली पर 33 दस्तावेज दाखिल किये गये है प्रत्येक घ ाटनाक्रम की सीडी एवं मेमोरडम बनाया गया है। घटना के समय की बातचीत रिकार्ड की गई थी। उसकी ट्रांस्क्रिप्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। केवल नमूना आवाज जो परीक्षण हेतु केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। जो दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके है, उन्हीं के आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। चूंकि नमूना परीक्षण रिपोर्ट के आने में विलम्ब होता है और वह क्रम संख्या आने पर ही तैयार होता है। केवल वॉइस परीक्षण रिपोर्ट को छोड़कर जब सभी दस्तावेज प्राप्त हो चुके है, उसी के आधार पर वाद में अग्रिम कार्यवाही को आगे न बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अभियुक्त के आवेदन पत्र का निस्तारण इस रूप में किया जाता है कि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध होते ही उसकी प्रति अभियुक्त को उपलब्ध करा दी जाय तथा अभियुक्त जो दस्तावेज प्राप्त हो चुके है, उनमें स्वीकृति अथवा अस्वीकृति अंकित करे।

पत्रावली आरोप निर्मित किये जाने हेतु दिनांक 02.09.19 को पेश हों

(डा0 विदुषी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।